उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

IS 15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

(भूमि अर्जन अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पत्र सं0- 203/एल0ए0सी0/ एच0क्यू0-(पत्रावली-10)/ दिनांक : 05-05-2025

नोटिस

(उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अधीन)

जनपद झाँसी की आवासीय समस्या के समाधान हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद झाँसी में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-04, झाँसी प्रस्तावित की गयी है। इस योजना में समाविष्ट भूमि की सीमा निम्नवत है:-

पूरब:- टाकोरी सम्पर्क मार्ग मौजा कोछाभाँवर तहसील व जनपद झाँसी (खसरा सं0 119) व मौजा टाकोरी तहसील व जनपद झाँसी (खसरा सं0 311)।

पश्चिम:- मौजा कोछा भाँवर तहसील व जनपद झाँसी खसरा सं0 15, 16, 18. (भाग), 3 (भाग), 21 (भाग), 19 (भाग), 20 (भाग), 29 (भाग), 30 (भाग), 31, 32 (भाग), 33 (भाग), 34 (भाग), 25 (भाग), 36 (भाग), 168 (भाग), 165 (भाग), 158 (भाग), 164 (भाग), 162, 161, (भाग), 160 (भाग), 159 (भाग), 157 (भाग), 156 (भाग), 136 (भाग), 38 (भाग), 39 (भाग), 36/1590 (भाग), 41 (भाग), 42 (भाग), 44 (भाग), 45 (भाग चकमार्ग), 62/1588 (भाग), 66 (भाग), 65 (भाग), 70 (भाग चकमार्ग), 123 (भाग चकमार्ग), 82 (भाग), 83 (भाग), 84 (भाग), 85 (भाग), 86 (भाग), 87 (भाग), 77 (भाग नाला), ग्राम-मुस्तरा-झाँसी खसरा सं0 1110 (भाग), 1108 (भाग), 1107 (भाग), 1103 (भाग), 1104 (भाग), 1023, 1022, 1020 (भाग), 1019 (भाग), 972 (भाग), 983 (भाग), 982 (भाग), 967 (भाग), 952 (भाग), 984, 990 (भाग), 992 (भाग), 993, (भाग), 994, (भाग), 995 (भाग), 996, 865 (भाग), 841 (भाग), 842 (भाग), 843 (भाग), 839, 838 (भाग), 835 (भाग), 821 (भाग), 824 (भाग), 823, 825 (भाग), 826 (भाग), 810 (भाग), 809 (भाग), 652 (भाग), 651 (भाग), 650 (भाग), 647 (भाग), 644 (भाग), 655 (भाग), 656 (भाग), 657 (भाग), 659 (भाग), 660 (भाग), 632 (भाग), एवं 631 (भाग).

उत्तर:- झाँसी कानपुर रेलवे लाइन (उ०म०रे०) मुस्तरा, तहसील व जनपद झाँसी (खसरा सं0 376 (भाग), व 694 (भाग), ग्राम टाकोरी तहसील व जनपद झाँसी (खसरा सं० 245 व 246)

दक्षिण:- ग्राम पिछोर तहसील व जनपद झाँसी, झाँसी ग्वालियर, कानपुर बाईपास एवं खसरा सं0 331, 343, 337, 319, 301, 298 (भाग), तथा ग्राम-कोछा भोंवर तहसील व जनपद झाँसी-खसरा सं0 228 (भाग), 229 (भाग), 230 (भाग), 231 (भाग), 232 (भाग), 239 (भाग), 238 (भाग), 240 (भाग), 246 (भाग), 244 (भाग)

यह भी घोषणा की जाती है कि परिषद की राय में उक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि, जो उसके निष्पादन के लिये अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा। योजना के निष्पादन के फल स्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के सम्बन्ध में भू-स्वामी अथवा उसके स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा असुधार शुल्क / विकास शुल्क उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

उक्त योजना क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का ब्योरा कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड-01. झाँसी में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ0प्र0 गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिनों के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से सम्बन्धित आपत्तियां कार्यालय, आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड-01. झाँसी में प्रेषित की जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, खसरा संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही-सही अंकित होना चाहिये।

(डा0 बलकार सिंह)
आवास आयुक्त

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें 1800-180-5333 (टोल फ्री नंबर), 0522-2236803

UPHousingBoard www.upavp.in info@upavp.com